रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 13 दिसम्बर, 2004/22 अग्रहायण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

चम्बा-176310, 22 नवम्बर, 2004

क्रमांक पंच-चम्बा-ए (16)-II-1416-23.—चूंकि श्री सिंह राम, प्रधान ग्राम पंचायत पिछला डियूर, विकास खण्ड सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) का अपने पद से त्याग-पत्र खण्ड विकास अधिकारी, सलूणी के पत्र संख्या 1841, दिनांक 20-9-2004 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें श्री सिंह राम, प्रधान, ग्राम पंचायत पिछला डियूर, विकास खण्ड सलूणी ने अपने पद से त्याग-पत्र चौथी सन्तान पैदा होने के कारणों से दिया है, जिसकी पुष्टी खण्ड विकास अधिकारी, सलूणी में करते हुए त्याग-पत्र स्वीकृत करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, उत्तम सिंह वर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा जिला चम्बा (हि0 प्र0) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) व हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सिंह राम, प्रधान पद का त्याग-पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत पिछला डियूर, विकास खण्ड सलूणी का प्रधान पद रिक्त घोषित करता हूं।

उत्तम सिंह वर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

2552-राजपत्र/2004—13-12-2004— 1,429. (2739) मूल्य: एक रुपया।

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

चम्बा, 24 नवम्बर, 2004

संख्या-पंच-ए (16)-II-1425-31.—एतद्द्वारा श्री अब्दुला, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 18) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 की संशोधित धारा 122 की उप धारा (1) के खण्ड "ण" की ओर आकर्षित किया जाता है।

(यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं)

(परन्तु खण्ड "ण" के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के भीतर दो से अधिक जीवित सन्तान हैं, जब तक उसकी उक्त वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती)।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000, 8 जून 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड "ण" का प्रावधान 8-6-2001 से प्रभावी होता है अर्थात 8-6-2001 के पश्चात यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात उसके अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती हैं तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा। खण्ड विकास अधिकारी चम्बा के पत्र संख्या 3090 दिनांक 27-10-2004 द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में सूचित किया है कि आपके 8-6-2001 के पश्चात एक अतिरिक्त सन्तान हुई है जिसका इन्द्राज अपने परिवार में न करवा कर नूरमुहम्मद सुपुत्र मेहरदीन, गांव मैंगल/लिहा ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा के परिवार में इन्द्राज करवाया है। जिसका जन्म 20-4-2003 को हुआ है, जो आपकी 7वीं सन्तान है। जिसकी पुष्टि नूरमुहम्मद सुपुत्र मेहरदीन के ब्यान हल्फी व आंगन बाडी के परिवार रजिस्टर/सर्वेक्षण रजिस्टर की नकल अनुसार भी होता है कि यह अतिरिक्त सन्तान आपकी है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम की उपरोक्त धारा 122 की उप-धारा (1) के खण्ड "ण" के अन्तर्गत आयोग्यता में आता है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ती के 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131(क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये।

चम्बा, 4 दिसम्बर, 2004

संख्या पंच चम्बा-1482-88.—चूंकि श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र मोती सिंह, गांव लाहड़, डाकघर परछोड, उप-प्रधान ग्राम पंचायत परछोड के विरुद्ध सरकारी भूमि पर अधिक्रमण बारे दिनांक 24-1-2001 को उप-मण्डलाधिकारी (ना0) के न्यायालय में निर्वाचन याचिका जो कि धारा 163 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत की गई थी जिसका फैसला दिनांक 27-11-2003 को हुआ जिसमें उप-प्रधान ग्राम पंचायत परछोड के पद का निर्वाचन अवैध घोषित किया गया।

इसके उपरान्त श्री पूर्ण चन्द उप-प्रधान, ग्राम पंचायत परछोड ने उपायुक्त चम्बा के न्यायालय में केस नं0 3/चम्बा/03, दिनांक 8-12-2003 को धारा 181 हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के

अनुसूची-3

उन दस्तावेजों की सूची जिनके अन्तर्गत श्री जरम सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध होते हैं :—

1. जिला अंकेक्षण अधिकारी, कांगड़ा की जांच रिपोर्ट दिनांक 29-10-2004.

2. ग्राम पंचायत कमनाला द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 3, दिनांक 7-08-2004.

3. निरीक्षक पंचायत विकास खण्ड, नूरपुर.

हस्ताक्षरित/-
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

अनुसूची-4

उन गवाहों की सूचि जिनके अन्तर्गत श्री जरम सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत कमनाला, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा के विरुद्ध लगाये गए आरोप सिद्ध होते हैं:—

1. जिला अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

2. निरीक्षक, पंचायत, विकास खण्ड नूरपुर ।

3. श्री चैन सिंह व श्री जोगिन्द्र पाल अंकेक्षक कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

हस्ताक्षरित/-
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

धर्मशाला, 22 नवम्बर, 2004

संख्या पंच-के0 जी0 आर-ई0 (18) 23/91-9720.—उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बैजनाथ ने अपने कार्यालय पत्र संख्या 205, दिनांक 22-4-2004 के अन्तर्गत सूचित किया है कि निर्माण रास्ता गांव नपोटा से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारडी के लिये खण्ड विकास अधिकारी, बैजनाथ द्वारा नवम्बर 2003 को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कूपन संख्या 035 द्वारा 895.536 कि0 ग्रा0 चावल तथा 1799.767 कि0 ग्रा0 गेहूं ग्राम पंचायत लवाई को जारी किये थे जिसे आप द्वारा काम शुरू होने से पहले ही सरकारी सभा लोहारडी से प्राप्त करके अपात्र गांव वासियों को वितरित कर दिया गया और बाद में जब कार्य पूरा हुआ तो काम पर लगे मजदूरों द्वारा इसका विरोध करने पर आप द्वारा कोआपरेटिव सोसाइटी लोहारडी से उक्त अनाज क्रय करके कुछ मजदूरों को दिया गया और अन्य मजदूर इस योजना से वंचित रह गये । इसके अतिरिक्त आप द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उक्त अनाज आपने काम शुरू होने से पूर्व ही अन्य अपात्र गांव वासियों को वितरित कर दिया है ।

क्योंकि उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बैजनाथ ने भी अपनी टिप्पणी में यह स्पष्ट किया है कि आप द्वारा अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है ।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) (क) के अन्तर्गत मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्रीमति प्रोमिला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ को कारण बताओ नोटिस जारी करता हूं और यह आदेश देता हूं कि आपका उत्तर इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर खण्ड विकास अधिकारी, बैजनाथ के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त होना चाहिये।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

अनुसूची-1

अभिकथन जिनके अन्तर्गत श्रीमति प्रोमिला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के विरुद्ध आरोप-पत्र अधिरोपित किया गया है।

क्योंकि श्रीमति प्रोमिला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा निर्माण रास्ता गांव नपोटा से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहरडी के लिए खण्ड विकास अधिकारी, बैजनाथ द्वारा जो नवम्बर, 2003 को काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कूपन संख्या 035 द्वारा 895.538 कि0 ग्रा0 चावल तथा 1799.767 कि0 ग्रा0 गेहूं ग्राम पंचापत लवाई को जारी किये थे जिसे काम शुरु होने से पहले ही सरकारी सभा लोहारडी से प्राप्त करके अपात्र गांव वासियों को बितरित कर दिया गया और बाद में जब कार्य पूरा हुआ तो काम पर लगे मजदूरों द्वारा इसका विरोध करने पर कोआपरेटिव सोसाइटी लोहारडी से उक्त अनाज क्रय करके कुछ मजदूरों को दिया गया व अन्य मजदूर इस योजना से वंचित रह गये।

अतः प्रधान, ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ का यह कृत्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम व नियम की अवेहलना है जिस कारण उक्त प्रधान के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 142 (1) (क) के अन्तर्गत पढ़ा जाये कार्यवाही की जानी वांछित है।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

अनुसूची-2

अभिकथन जिनके अन्तर्गत प्रोमिला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य सिद्ध हुये हैं :—

यह कि श्रीमति प्रोमिला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच रिपोर्ट उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बैजनाथ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिस अनुसार पाया गया कि प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी, बैजनाथ द्वारा जारी किये गये 895.536 कि0 ग्रा0 चावल तथा 1799.767 कि0 ग्रा0 गेहूं को काम शुरू होने से पहले ही प्राप्त करके अन्य गांव वासियों को बितरित कर दिया गया व बाद में काम पर लगे मजदूरों द्वारा इसका विरोध करने पर पुनः कोआपरेटिव सोसाइटी लोहारडी से क्रय करके कुछ मजदूरों को दिया गया व अन्य मजदूर इस योजना से वंचित रह गये।

जांच रिपोर्ट अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि उक्त अनाज उन्होंने काम शुरू होने से पूर्व ही अन्य अपात्र गांव वासियों को वितरित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बैजनाथ ने भी अपनी टिप्पणियों में स्पष्ट किया है कि प्रधान ग्राम पंचायत लवाई द्वारा अपने पद व शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रधान ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ पर लगाये गये आरोप तथ्यों के अनुकूल है जिस कारण उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 (2) जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 142 (2) (क) के अन्तर्गत पढ़ा जाये कार्यवाही की जानी वांछित है।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

अनुसूची-3

उन दस्तावेजों की सूची जिनके अन्तर्गत श्रीमति प्रोमिला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य सिद्ध होते हैं :—

1. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बैजनाथ की जांच रिपोर्ट संख्या 205, दिनांक 22-4-2004.

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

अनुसूची-4

उन गवाहों की सूची जिनके अन्तर्गत श्रीमति प्रोमिला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लवाई, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य सिद्ध होते हैं।

1. उप-मण्डलाधिकारी (ना0) बैजनाथ, जिला कांगड़ा।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय उपायुक्त शिमला, जिला शिमला (हि0 प्र0)

कारण बताओ नोटिस

शिमला-1, 29 नवम्बर, 2004

संख्या पी सी एच-एस एम एल (दो बच्चे) 2002-12386-12390.—एतद्द्वारा श्री इन्द्र सिंह, सदस्य वार्ड नं0 1 (शलन), ग्राम पंचायत हलाऊ, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) का ध्यान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) खण्ड (ण) की ओर आकृष्टि किया जाता है जो निम्नत: है :—

(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधित) अधिनियम, 2000 के आरम्भ होने की तारीख पर या ऐसे आरम्भ होने के एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती है ।"

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 जो 8 जून, 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार 8-6-2001 के पश्चात यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व 2 या 2 से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान के लागू होने के पश्चात और अतिरिक्त सन्तान/सन्ताने पैदा होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने अपने पत्र संख्या सी0 बी0 (आर0 रिक्तियां)/1730, दिनांक 5-10-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 19-6-2003 को तीसरी सन्तान पैदा हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर भाग-1 पर दिनांक 26-6-2003 को दर्ज है, जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अत: मैं एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) तथा 131 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्री इन्द्र सिंह, सदस्य, वार्ड नं0 1 (शलन), ग्राम पंचायत हलाऊ, विकास खण्ड चौपाल को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत हलाऊ, वार्ड नं0 1 (शलन) से सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा । उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 29 नवम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-12366-12370. एतद्द्वारा श्रीमती शारदा देवी, वार्ड नं0 6 जवता, ग्राम पंचायत ननाहर, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) खण्ड (ण) की ओर आकृष्टि किया जाता है जो निम्नत: है :—

"(ण) यदि उनके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होंगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम (संशोधित), 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती है ।"

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम (संशोधन), 2000 जोकि 8 जून, 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार 8-6-2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व 2 या 2 से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान

लागू होने के पश्चात् और अतिरिक्त सन्तान/सन्तानें पैदा होती हैं तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने अपने पत्र संख्या सी0 बी0 (आर0 रिक्तियां)/2004-1730, दिनांक 5-10-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 8-6-2002 को चौथी सन्तान पैदा हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर भाग-I पर दिनांक 6-7-2002 में दर्ज है, जोकि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) तथा 131 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्रीमती शारदा देवी, सदस्या, वार्ड नं0-6 (जवना), ग्राम पंचायत ननाहर, विकास खण्ड चौपाल को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत ननाहर, वार्ड नं0-6 (जवना) से सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये । उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी ।

शिमला-9, 29 नवम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-12371-12375.—एतद्द्वारा श्री राम लाल सदस्य वार्ड नं0 2 (टिक्करी-I), ग्राम पंचायत खगना विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नतः है :—

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज (संशोधित) अधिनियम 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती है" ।

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधित अधिनियम, 2000 जो 8 जून 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार 8-6-2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व 2 या 2 से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् और अतिरिक्त सन्तान/सन्तानें पैदा होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी चौपाल ने अपने पत्र संख्या सी0 बी0 (आर0 रिक्तियां)/2004-1730 दिनांक 5-10-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 1-3-2003 को चौथी सन्तान पैदा हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण भाग-1 पर दिनांक 12-3-2003 में दर्ज है, जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अतः मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (2) तथा 131 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्री राम लाल सदस्य वार्ड नं0-2 (टिक्करी-1), ग्राम पंचायत खगना, विकास खण्ड चौपाल को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस

की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी चौपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत खगना वार्ड नं0-2 (टिक्करी-1) से सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा । उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

शिमला-2, 24 नवम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे) 2002-12381-12385.—एतद्द्वारा श्रीमती बिरमा देवी, सदस्य वार्ड नं0-3 (काण्डा), ग्राम पंचायत हलाऊ, विकास खण्ड चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) खण्ड (ण) की ओर आकृष्टि किया जाता है जो निम्नत: है :—

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधित), अधिनियम 2000 के आरम्भ होने की तारीख पर या ऐसे आरम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती है ।"

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 जो 8 जून, 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार 8-6-2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व 2 या 2 से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् और अतिरिक्त सन्तान/सन्तानें पैदा होती हैं तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल ने अपने पत्र संख्या सी0 बी0 (आंक0 रिकियां)/2004-1730, दिनांक 5-10-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके दिनांक 9-3-2003 को पांचवी सन्तान पैदा हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर भाग-I पर दिनांक 11-3-2003 में दर्ज है, जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अत: मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपाध्यक्ष, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) तथा 131 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्रीमती बिरमा देवी, सदस्य, वार्ड नं0 3 (काण्डा), ग्राम पंचायत हलाऊ, विकास खण्ड चौपाल को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, चौपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत हलाऊ, वार्ड नं0 3 (काण्डा), सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा । उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

शिमला-2, 29 नवम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 एल0 (दो बच्चे)/2002-12376-12380. —एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह सदस्य वार्ड नं0-5 (बोहर) ग्राम पंचायत बोहर विकास खंण्ड चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र) का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (1) खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नत: है : —

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान हैं परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधित) अधितियम

2000 के आरम्भ होने की तारीख पर या ऐसे आरम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात और सन्तान नहीं होती है ।"

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम 2000 जो 8 जून 2001 से लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) के प्रावधान अनुसार 8-6-2001 के पश्चात यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने से पूर्व 2 या 2 से अधिक सन्तान है तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात और अतिरिक्त सन्तान/सन्तानें पैदा होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी चौपाल ने अपने पत्र संख्या सी0 बी0 (आक0 रिक्तियां)/2004-1730 दिनांक 5-10-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया जाता है कि आपके दिनांक 23-8-2001 को चौथी सन्तान पैदा हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर भाग-I पर दिनांक 29-8-2001 में दर्ज है, जो कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अत: मैं, एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) तथा 131 (2) के प्रावधान अनुसार उक्त श्री देवेन्द्र सिंह सदस्य वार्ड नं0-5 (बोहर) ग्राम पंचायत बोहर विकास खण्ड चौपाल को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी चौपाल के माध्यम से प्रस्तुत करें अन्यथा उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत बौहर वार्ड नं0-5 (बौहर) से सदस्य पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा । उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना तथा तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।

कार्यालय आदेश

शिमला-1, 29 नवम्बर, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस एम एल (रिक्त पद) 8/2003-12331-12335. यह कि कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति रामपुर की रिपोर्ट अनुसार श्री कृष्ण लाल खुंद सदस्य पंचायत समिति, वार्ड भगलती, विकास खण्ड रामपुर का देहान्त दिनांक 21-4-2004 को हो चुका है और कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति रामपुर ने पत्र सं0 3697 दिनांक 6-11-2004 के अन्तर्गत पंचायत समिति सदस्य पद वार्ड भगलती को रिक्त करने की सिफारिश की है ।

अत: मैं एस0 के0 बी0 एस0 नेगी, उपायुक्त शिमला हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (4) के अन्तर्गत प्राप्त विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायत समिति सदस्य पद, वार्ड भगलती विकास खण्ड रामपुर को रिक्त घोषित करता हूं ।

एस0 के0 बी0 एस0 नेगी,
उपायुक्त,
जिला शिमला (हि0 प्र0) ।

Office of the District Magistrate, Shimla, District Shimla (H. P.)

NOTIFICATION

Shimla-1, 2nd December, 2004

No. SML-Reader/ADM (716)/2003-7085-7102.—In partial modification of this office notification issued *vide* No. SML-Reader/ADM (716) 2003-193-212, dated 24-4-2003, it is hereby notified that the orders passed *vide* said notification shall not apply on Sundays and gazetted holidays.

Sd/-
District Magistrate.

कार्यालय उपायुक्त सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०)

कार्यालय आदेश

सोलन, 1 दिसम्बर, 2004

संख्या एश० एल० एन०-3-92(पंच)/92-III-9485-90.—खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार, जिला सोलन (हि० प्र०) ने अपने कार्यालय पत्र संख्या के० बी०(पंच)/75-2801-4043 दिनांक 5-11-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड से श्री अमर लाल, सदस्य, वार्ड नं० 5 ग्राम पंचायत बकालग, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन (हि० प्र०) का निधन दिनांक 28-8-2004 को हो गया है । जिसके फलस्वरूप उसका पद रिक्त हो गया है ।

अतः मैं, राजेश कुमार (भा० प्र० से०), उपायुक्त सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०) पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थान को उपरोक्त दर्शाई गई तिथि से रिक्त घोषित करता हूं ।

राजेश कुमार,
उपायुक्त,
सोलन, जिला सोलन (हि० प्र०) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित